भारत सरकार
खान मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. †2854
दिनांक 05.08.2026 को उत्तर देने के लिए

खनन क्षेत्र में सुधार और खनिज अन्वेषण

†2854. श्री बसवराज बोम्मईः
श्री बिप्लब कुमार देबः

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले एक वर्ष में व्यापार करने की सुगमता को बढ़ावा देने, खनिज अन्वेषण में तीव्रता लाने और खनन परियोजनाओं को समय पर शुरू करने के लिए किए गए प्रमुख खनन क्षेत्र सुधार क्या हैं;
(ख) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा क्षेत्र कार्य मौसम 2025-26 के दौरान महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों के अन्वेषण में हुई प्रगति क्या है और प्राप्त की गई प्रमुख बड़ी उपलब्धियाँ क्या हैं;
(ग) खनिज अन्वेषण और खनिज ब्लॉक की नीलामी में राज्यों और निजी अभिकरणों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए किए गए उपाय क्या हैं; और
(घ) सरकार द्वारा भारत की दीर्घकालिक खनिज सुरक्षा को सुदृढ़ किए जाने और आत्मनिर्भर भारत व विकसित भारत 2047 के लक्ष्यों में मदद करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कोयला और खान राज्य मंत्री
(श्री सतीश चंद्र दुबे)

(क): खान मंत्रालय ने राज्य सरकारों के सहयोग से ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस को बढ़ावा देने, खनिज गवेषण में तेजी लाने और खनन परियोजनाओं के समयबद्ध प्रचालन को सुगम बनाने के लिए कई उपाय किए हैं। कुछ प्रमुख उपाय निम्नलिखित हैं:

i. नीलाम किए गए ब्लॉकों की निरंतर निगरानी के लिए खान मंत्रालय में एक समर्पित परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) की स्थापना की गई है।

ii. सचिव (खान) की अध्यक्षता में खनिज ब्लॉकों की नीलामी और प्रचालन की प्रगति की निगरानी करने तथा सामने आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए राज्य सरकारों के साथ मासिक समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं।

iii. माननीय केंद्रीय खान मंत्री और सचिव (खान) की अध्यक्षता में खनन, वन, पर्यावरण, राजस्व विभागों के संबंधित अधिकारियों और संबंधित बोलीदाताओं के साथ राज्य-विशिष्ट समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं।

iv. प्रमुख खनिज राज्यों द्वारा बोली प्रक्रिया से पूर्व भूमि निर्धारण संबंधी मुद्दों को हल करने, बोलीदाताओं की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने और शीघ्र प्रचालन को सुगम बनाने के लिए पूर्व-नीलामी समितियों का गठन किया गया है।

v. मुख्य सचिव की अध्यक्षता में नीलाम की गई खानों के प्रचालन में आने वाली बाधाओं को दूर करने और उनके शीघ्र प्रचालन के लिए प्रमुख खनिज राज्यों द्वारा राज्य-स्तरीय समन्वय समितियों का गठन किया गया है।

vi. खनिज (नीलामी) नियम, 2015 में मध्यवर्ती समय-सीमा, अधिमानित बोलीदाता की स्वचालित घोषणा और आशय पत्र (एलओआई) का स्वचालित निर्गमन, बोलीदाताओं और राज्य सरकारों द्वारा होने वाली देरी के लिए जवाबदेही और शीघ्र प्रचालन हेतु वित्तीय प्रोत्साहन शुरू करने के लिए संशोधन किया गया है।

vii. 'राज्यों को पूंजीगत निवेश के लिए विशेष सहायता योजना' (एससीएआई) के तहत, वित्त वर्ष 2025-26 में राज्य सरकारों को प्रमुख खनिज ब्लॉकों की नीलामी की गति तेज करने और खानों के शीघ्र प्रचालन के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किए गए हैं।

viii. मौजूदा खनन पट्टों में नए खनिजों को शामिल करने का प्रावधान, खनन पट्टा (एमएल)/समेकित अनुज्ञप्ति (सीएल) के लिए एकमुश्त क्षेत्र विस्तार, और ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस बढ़ाने के लिए कैप्टिव खानों से खनिजों की बिक्री पर प्रतिबंध हटाने सहित विधायी और नीतिगत सुधार किए गए हैं।

(ख): कार्यसत्र 2025-26 के दौरान, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने देश भर में विभिन्न महत्वपूर्ण और सामरिक खनिजों पर 230 खनिज गवेषण परियोजनाओं का फील्ड निष्पादन पूरा किया है।

(ग): खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (एमएमडीआर अधिनियम) में एमएमडीआर संशोधन अधिनियम, 2021 के माध्यम से संशोधन किया गया, जिसके तहत एमएमडीआर अधिनियम की धारा 4(1) के तहत गवेषण करने के लिए प्रत्यायित निजी गवेषण एजेंसियों की अधिसूचना का प्रावधान किया गया। अब तक 51 निजी गवेषण एजेंसियों को अधिसूचित किया गया है और इन एजेंसियों के माध्यम से 187 गवेषण परियोजनाएं शुरू की गई हैं।

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खनिज खोज एवं विकास न्यास (एनएमईडीटी) के तहत गवेषण अनुज्ञप्ति धारकों को 20 करोड़ रुपये की अधिकतम सीमा के साथ प्रत्यक्ष लागत के 50 प्रतिशत तक के गवेषण व्यय की आंशिक प्रतिपूर्ति वाली एक स्कीम शुरू की है। समेकित अनुज्ञप्ति धारकों के लिए 8 करोड़ रुपए की अधिकतम सीमा के साथ गवेषण की प्रत्यक्ष लागत के 50 प्रतिशत तक गवेषण व्यय की आंशिक प्रतिपूर्ति के लिए एनएमईडीटी के तहत एक स्कीम भी शुरू की गई है।

इसके अतिरिक्त, एनएमईडीटी, किसी ब्लॉक के जी4 से जी3 चरण में अपग्रेड होने पर स्वर्ण, आधार-धातुओं, अन्य बहुमूल्य खनिजों, सामरिक/महत्वपूर्ण खनिजों और उर्वरक खनिजों के लिए ग्रीनफील्ड क्षेत्रों में जी4 मदों के लिए परियोजना की अनुमोदित लागत का 25 प्रतिशत गवेषण वित्तीय प्रोत्साहन (ईआई) भी प्रदान करता है।

एससीएआई के तहत, राज्य सरकारों को अन्य बातों के साथ-साथ नीलामी के लिए खनिज ब्लॉकों की तेजी से पहचान करने और इन्हें नीलामी के लिए तैयार करने हेतु भूमि निर्धारण संबंधी मुद्दों को हल करने हेतु पूर्व-नीलामी समिति के गठन; राज्यों द्वारा अधिक सक्रिय और पारदर्शी नीलामी की सुगमता के लिए प्रमुख खनिजों के लिए वार्षिक नीलामी कैलेंडर का प्रकाशन; पूर्व-निर्धारित मंज़ूरियों के साथ प्रमुख खनिज ब्लॉकों की सफल नीलामी और निर्धारित लक्ष्य के अनुसार नीलाम किए गए प्रमुख खनिज ब्लॉकों के प्रचालन के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाता है।

इसके अतिरिक्त, अधिसूचित गवेषण एजेंसियों को उनके द्वारा खोजे गए गई सभी प्रकार के खनिज ब्लॉकों की नीलामी में भाग लेने की अनुमति देने के लिए खनिज (नीलामी) नियमों में सा.का.नि. 223(ड.) दिनांक 30.03.2026 के माध्यम से संशोधन किया गया है।

(घ): एमएमडीआर अधिनियम को वर्ष 2020, 2021, 2023 और 2025 में भारत की दीर्घकालिक खनिज सुरक्षा को सुदृढ़ करने और आत्मनिर्भर भारत एवं विकसित भारत 2047

के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायता करने के उद्देश्य से संशोधित किया गया है। कुछ प्रमुख संशोधनों में निम्नलिखित शामिल हैं:

i. खानों की पुन: नीलामी के मामले में नए पट्टेदारों के पक्ष में निहित होने के माध्यम से मंजूरियों का हस्तांतरण।
ii. खानों की नीलामी के लिए अंतिम उपयोग प्रतिबंधों को हटाना।
iii. बिना किसी शुल्क के पट्टे का हस्तांतरण।
iv. गवेषण करने के लिए प्रत्यायित निजी गवेषण एजेंसियों की अधिसूचना द्वारा गवेषण में निजी क्षेत्र की भागीदारी।
v. केंद्र सरकार द्वारा महत्वपूर्ण और सामरिक खनिजों के खनिज ब्लॉकों की नीलामी।
vi. गवेषण में खनन कंपनियों को आकर्षित करने के लिए गवेषण अनुज्ञप्ति की शुरूआत।
vii. खनन पट्टे में गवेषित अतिरिक्त खनिजों को शामिल करना।
viii. अंतिम उपयोग की आवश्यकता को पूरा करने के बाद कैप्टिव खानों से खनिजों की बिक्री पर सीमा को हटाना।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने महत्वपूर्ण खनिजों की एक सतत आपूर्ति सुनिश्चित करने और संपूर्ण मूल्य श्रृंखला- गवेषण और खनन से लेकर सज्जीकरण तक; प्रसंस्करण और एंड ऑफ लाइफ उत्पादों से पुनर्प्राप्ति को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (एनसीएमएम) की शुरूआत की है।

*****